खण्ड-III

आयोजना परिव्यय 2015-2016

वर्ष 2015-16 का योजना परिव्यय व्यय अनुमानों में प्रमुख संयोजनात्मक अन्तरण को दर्शाता है। ये परिवर्तन उच्चतर अन्तरण और केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों के लिए उच्चतर लोच के लिए राज्यों की चिरप्रतीक्षित मागों के कारण हुआ है। ''सहकारी संघीयवाद की भावना के अनुरूप सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की संस्तुतियों को मान लिया है और इसके अनुसार अब केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का 42% से अधिक हिस्सा राज्यों को अंतरित किया जाएगा। यह 2014-15 में तेरहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अन्तरित 32% से अधिक है।

इससे राजकोषीय वास्तविकताएं, जिसमें बिना शर्त अन्तरण ज्यादा ध्यान देते हुए राज्यों को योजना सहायता का आकलन करने के तौर-तरीके भी शामिल हैं, बदले हैं। राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता में कमी संघीय-राजकोषीय अन्तर्संबंधों में हो रहे बदलाव में परिलक्षित होती है। तथापि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ज्यादातर कार्यक्रमों के संबंध में राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता घटने के बावजूद इन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय समग्रतः राज्यों को की जाने वाली संसाधनों की पूलिंग में बढ़े हुए अंतरण के रूप में अपरिवर्तित ही रहेगा।

सामाजिक रूप से विपन्नों और गरीबों के प्रति सरकार की प्रतिबद्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इन क्षेत्रों में केन्द्रीय अंशदान को बहाल रखा जाए। अन्य कई कार्यक्रम हैं जो कि सांविधिक/संघ की विधिक बाध्यताएं जैसे कि - एमजीएनआरजीए या निर्वाचन क्षेत्र की सेवा के लिए माननीय सांसदों को उपलब्ध विशेषाधिकार हैं। इन कार्यक्रमों के लिए आबंटन पूर्णतया केंद्र के संसाधनों से उपलब्ध कराए गए हैं।

अन्य कार्यक्रमों के संबंध में चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनूरूप राज्यों को वृद्धित अन्तरणों से केन्द्र-राज्य वित्तपोषण के तौर-तरीके उचित रूप से संशोधित होंगे। बदले हुए निधिपोषण के पैटर्न के फलस्वरूप इन कार्यक्रमों पर समग्र व्यय कम नहीं होगा।

कुछ ही कार्यक्रम हैं जिन्हें संघ सरकार की सहायता से मुक्त रखा गया है। राज्य चाहें तो एफएफसी की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वृद्धित संसाधनों से इन कार्यक्रमों को जारी रखने (या न रखने) का निर्णय ले सकते हैं।

उपर्युक्त सभी संदर्भित कार्यक्रमों का ब्यौरा अनुबंध 8, 8क और 8ख में देखा जा सकता है।

इसके अलावा सरकार अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए सार्वजनिक निवेश की चुनौतियों से जूझ रहीं हैं। इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए योजना परिव्यय 2015-16 में प्रयास किया गया है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सार्वजनिक निवेश के लक्ष्यों में सार्वजनिक उद्यमों के संसाधनों में वृद्धि के माध्यम से केन्द्रीय योजना में वृद्धित बजटीय समर्थन के द्वारा हासिल करने की योजना है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय योजना परिव्यय (सार्वजनिक उद्यमों के संसाधनों सहित) वर्ष 2014-15 की तुलना में लगभग 35.5% उच्चतर होगी। ब्यौरे नीचे सारणी में दिए जा रहे हैं:-

(₹ करोड़)

	वास्तविक आंकड़े 2013-14	बजट अनुमान 2014-2015	संशोधित अनुमान 2014-2015	बजट अनुमान 2015-2016
केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता	340478.77	236591.51	189765.80	260493.03
सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन	263094.64	247940.94	237045.20	317888.64
केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	**603573.41**	**484532.45**	**426811.00**	**578381.67**
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**112848.58**	**338408.49**	**278167.83**	**204784.01**

कृषि और संबद्ध कार्यकलाप

फसल कार्य : कृषोन्नति योजना नाम से एक अम्ब्रेला स्कीम विविध विकास संबंधी कार्यक्रमों/स्कीमों जोकि - मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि सहकारिता संबंधी समेकित स्कीम, कृषि विपणन, कृषि जनगणना और सांख्यिकी, बागवानी, वहनीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी अवसंरचना हैं, को कवर करेगी। कुल कृषि योजना 5845.45 करोड़ रुपए हैं। कृषि वस्तुओं के वृद्धित उत्पादन की कार्यनीति में विविध विकासपरक कार्यक्रमों के माध्यम से कृषकों को प्रोत्साहन देने पर ध्यान दिया गया है। फसल कार्य के अन्तर्गत कार्यक्रमों के लिए पुनसंरचित स्कीमों जोकि कृषि। विस्तार पर उप मिशन, कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (सीएस), कृषि जनगणना और सांख्यिकी पर समेकित स्कीम और राष्ट्रीय फसल बीमा स्कीम आदि हैं, के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत **4338.75 करोड़ रुपए** नियत हैं। इसके अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए **10800.50 करोड़ रुपए** का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम, राष्ट्रीय वहनीय कृषि मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन और राष्ट्रीय कृषि योजना को कवर करती है। इस प्रावधान में परम्परागत कृषि विकास योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सूक्ष्म सिंचाई भाग जैसी नई स्कीमें भी शामिल हैं।

पशुपालन - डेरी विकास अभियान एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जोकि डेरी उद्यमिता, पशुधन तथा चारा विकास स्कीमों को कवर करता है। पशुधन स्वास्थ्य तथा बीमारी नियंत्रण कार्यक्रमों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोधन प्रजनन कार्यक्रम, पशु विकास तथा देशी नस्लों की एक नई स्कीम के लिए 488.18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

डेरी विकासः 481.50 करोड़ रुपए का परिव्यय राष्ट्रीय डेरी योजना, डेरी उद्यम, राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम और दिल्ली दुग्ध योजना के लिए है।

मत्स्य पालनः नील क्रान्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है जोकि मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए शुरु की गई है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, समुद्री मात्स्यिकी अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशनों का विकास, मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय स्कीम, इनलैण्ड मत्स्यपालन और जल कृषि के विकास और मत्स्यपालन संसाधनों को सहायता, नील क्रान्ति - इनलैण्ड मत्स्यपालन तथा जलचर जन्तु और चौपाए पशुओं के स्वास्थ्य निदेशालय के लिए 410.69 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रः 104.16 करोड़ रुपए का परिव्यय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दिया गया है।

वानिकी और वन्य जीव : पर्यावरण और वन मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 1446.60 करोड़ रुपए है। 758.16 करोड़ रुपए की राशि पारिस्थितिकी तथा

पर्यावरण के लिए आबंटित की गई है। जिसमें अन्य बातों के अलावा अनुसंधान और विकास सहित प्राकृतिक संसाधनों और प्रास्थिति-तंत्रों के संरक्षण हेतु 63.14 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय तटीय प्रबंध कार्यक्रम हेतु 213.05 करोड़ रुपए पर्यावरण निगरानी और अभिशासन हेतु 100.00 करोड़ रुपए तथा जलीय प्रास्थिति-तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना हेतु 76.10 करोड़ रुपए शामिल हैं। 150.00 करोड़ रुपए का प्रावधान भारतीय हिमालयी क्षेत्र के स्थायी विकास को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन हेतु किया गया है।

688.44 करोड़ रुपए की राशि वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए अभिनिश्चित की गई है और इसमें राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम के लिए 149.50 करोड़ रुपए, हरित भारत मिशन हेतु 64.00 करोड़ रुपए, वन प्रबंधन स्कीम को सघन बनाने के लिए 49.50 करोड़ रुपए, समेकित वन्य जीव बसाव विकास के लिए 61.21 करोड़ रुपए, प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के लिए 161.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 126.79 करोड़ रुपए, एससीएपी के लिए 28.00 करोड़ रुपए, मंत्रालय के आयोजना बजट के अधीन टीएसपी हेतु 4.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष वैज्ञानिक संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के माध्यम से कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। जोकि राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष एवं वैज्ञनिक संगठन है। केन्द्रीय योजना परिव्यय के मुख्य घटक गुणवत्ता परक बीजों के संदर्भ में कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ करना, उच्च फसल वाली वैराइटी/ संकर नस्लों का विकास, बायोटेक्नालोजी का अनुप्रयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावो का निराकरण, दक्षता बढ़ाने वाले अवदान, ऑर्गेनिक खेती के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी, टीकों तथा निदानों का विकास, अतिरिक्त मूल्य वृद्धि तथा लैंगिक मामले आदि करना है 2015-16 के लिए इस क्षेत्र का योजना परिव्यय 3691.00 करोड़ रुपए है। जिसमें से 2773.00 करोड़ रुपए (131.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर के लिए + 96.00 करोड़ टीएसपी के लिए) फसल कार्यों के लिए आबंटित किए गए हैं तथा 260.00 करोड़ रुपए (40.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र + 25.00 करोड़ रुपए टीएसपी हेतु) मृदा एवं जल संरक्षण के लिए आबंटित हैं।

खाद्य भंडारण और भांडागारण : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद और उनका संवितरण करने के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। **2015-16** में **90.00 करोड़ रुपए** की राशि जम्मू व कश्मीर, में पूर्वोत्तर तथा नए उभरते प्रमुख अधिप्राप्ति राज्यों में क्रियान्वित करने के लिए "भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा गोदामों का निर्माण" स्कीम के लिए आवंटित की गई है। टीपीडीएस कार्य के कम्प्यूटीकरण के लिए **2015-16** में **80.00 करोड़ रुपए** का परिव्यय दिया गया है। इसके अलावा, एक नई अम्ब्रेला स्कीम जिसमें मौजूदा स्कीमें अर्थात "पीडीएस का सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण एवं परामर्श और अनुसंधान के साथ-साथ दो नई स्कीमें नामतः गुणवत्ता नियंत्रण और राज्य खाद्य आयोग हेतु क्षमता-भिन्न आस्तियों हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता" का क्रियान्वयन **2015-16** में **9.50 करोड़ रुपए** के परिव्यय से किया जा रहा है। इन स्कीमों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। आयोजना स्कीम-गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करने का उद्देश्य अधिप्राप्ति भण्डारण और पूरे देश में वितरण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता के पहलुओं का मानीटर करना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समुचित कम्प्यूटरीकरण के कार्य का घटक-I का क्रियान्वयन वर्तमान में राशन कार्डों का और अन्य आंकड़ाधारों का डिजीटीकरण आपूर्ति श्रृंखला कम्प्यूटीकरण, पारदर्शिता पोर्टलों और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के माध्यम से टीपीडीएस के आधुनिकीकरण के लिए किया जा रहा है। भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा विभिन्न विकास स्कीमों के लिए भी प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय भाण्डागारण निगम **155.28 करोड़ रुपए** के परिव्यय से वित्तीय वर्ष **2015-16** के दौरान अपनी भाण्डागारण क्षमता **1,54,000** मीट्रिक टन बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: वर्ष 2015-16 के लिए खाद्य प्रसंकरण उद्योग के विकास हेतु 487.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मेगा फूड पार्क, शीतल श्रृंखला तथा बूचड़खानों के आधुनिकीकरण को 12 वीं योजना के दौरान और अधिक बढ़ाया गया है। 12 नई मेगा फूड पार्क परियोजनाएं, 75 शीतल श्रृंखला परियोजनाएं और 50 बूचड़खाना परियोजनाएं 12 वीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित की गई हैं ताकि इस सेक्टर में अधिक निवेश जुटाया जा सके।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग का 2015-16 के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 71,642.00 करोड़ रुपए है। केंद्रीय आयोजना परिव्यय के मुख्य संघटक ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण आवास और सड़कें, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण हैं।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम : आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), के लिए परिव्यय 2015-16 के लिए 2505.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु 210.50 करोड़ रुपए शामिल है।

महिला किसानों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना और ग्रामीण महिला; सर्वाधिक लघु और सीमान्त किसानों, किसानों का सामाजिक-आर्थिक और प्रौद्योगिकी सशक्तीकरण हासिल करने के लिए एनआरएलएम के उप घटक के रूप में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) शुरु की गई है।

एनआरएलएम के अन्तर्गत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईज़) की स्थापना की एक स्कीम देश के प्रत्येक जिले में शुरु की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बीपीएल युवाओं को मूलभूत और कौशल विकास का प्रशिक्षण देना है जिससे कि वे अपने रोजगार के लिए सूक्ष्म उद्यम शुरु कर सकें।

एनआरएलएम के अन्तर्गत 25% निधियां नौकरी से जुड़े कौशल विकास तथा नवोन्मेषी विशेष परियोनाजओं से जुड़े हुए हैं। कौशल विकास की प्रत्येक परियोजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के युवाओं को नियमित मजदूरी काम-काज सुनिश्चित करने की दृष्टि से समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देना तथा उनका क्षमता निर्माण करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ''जम्मू कश्मीर मे कौशल सशक्तीकरण तथा रोजगार'' नाम से एक नई स्कीम ''हिमायत'' शुरु कर रहा है। इसमें जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से अगले पांच वर्षों में एक लाख युवकों को कवर किया जाएगा। इसमें स्कूल छोड़ चुके, अंडर ग्रेजुएट जैसे सभी विविध युवकों को कवर किया जाएगा।

ग्रामीण रोजगार: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए 2015-16 में केन्द्रीय परिव्यय 34699.00 करोड़ रुपए है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका कार्यान्वयन 2 फरवरी, 2006 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इच्छुक वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिनों का अकुशल दिहाड़ी रोजगार का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने की व्यवस्था करना है। देश में इस कार्यक्रम की प्रारंभिक शुरुआत 200 अत्याधिक पिछड़े जिलों में की गई थी, बाद में इस कार्यक्रम की विस्तार दो चरणों में संपूर्ण देश में कर दिया गया था।

मनरेगा में टिकाऊ और उत्पादक आस्तियों के सृजन की परिकल्पना की जाती है जिससे बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और प्रास्थितिकी विकास में योगदान मिलेगा। आस्ति सृजन के उद्देश्य में भी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है और इसके लिए कार्यस्थल पर सामुदायिक भागीदारी एवं विभागीय कन्वर्जेन्स की आवश्यकता होती है।

पिछड़े जिलों पर विशेष जोर दिया गया जो समेकित कार्य योजना में शामिल किए गए हैं। ऐसे समेकित कार्य योजना जिलों में मनरेगा के कामगारों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ऐसे क्षेत्रों में नकद भुगतान की अनुमति दी गई जहां बैंकों/डाक घरों की पहुँच कम है। मनरेगा के अंतर्गत क्रीड़ा क्षेत्रों और आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले एक अनुमेय क्रियाकलाप के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए सरकार द्वारा लिए गए 51 जिलों में से आधार समर्थित मजदूरी का भुगतान 46 ग्रामीण जिलों में प्रायोगिक आधार पर किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने इस स्कीम के लिए व्यवस्था अपने स्वयं के संसाधनों से करने का निर्णय लिया है।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम:

वर्ष 2015-16 के लिए कुल आयोजना परिव्यय 1040.00 करोड़ रुपए है जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) (50.00 करोड़ रुपए), लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) (10.00 करोड़ रुपए), ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा जिला नियोजन प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण को प्रबंधन सहायता (130.00 करोड़ रुपए), तथा बीपीएल सर्वेक्षण (350.00 करोड़ रुपए), रुरबन मिशन (300.00 करोड़ रुपए) और ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (200.00 करोड़ रुपए) के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें से 103.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए अलग से रखे गये हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास के विकासात्मक मुद्दों और पंचायती राज के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करना एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं।

लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) का लक्ष्य विकास कार्यक्रमों तथा आवश्यकता आधारित नवोन्मेष परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के जरिए लोगों को शामिल करना है। कापार्ट अधिक सामाजिक अभिप्रेरणा, सामाजिक अवरोधों को कम करने और ग्रामीण जनता को सशक्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन जागरण सृजित करने के लिए कार्य करता है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबन्धकीय सहायता तथा जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण योजना का लक्ष्य प्रशिक्षण कार्यक्लाप, जागरूकता लाना, सुदृढ़ मानीटरिंग तंत्र, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की जरूरतों को पूरा करना है।

यह प्रावधान बीपीएल सर्वेक्षण करने वाले राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है ताकि मंत्रालय/सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्षित लाभों के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों की पहचान की जा सके।

आर्थिक गतिविधियों के एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए बजट 2014-15 में एसपीएमआरएम की घोषणा की गई थी। इस स्कीम का मिशन उद्देश्य ग्रामीण-शहरी मलिन बस्तियों में जीवनयापन के लिए जीवन के स्तर की गुणवत्ता में सुधार करना, ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटना और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करना तथा कदाचित प्रति पलायन को सुगम करना है।

ग्राम उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एसवीईपी) की शुरुआत में आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और ग्राण उद्यमों की स्थापना करने के लिए परामर्शी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके ग्रामीण गरीब परिवारों द्वारा ग्राम स्तर पर उद्यमिता शुरु करने को संवर्धित करने के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। एसवीईपी में ग्रामीण गरीब युवा-वर्ग को बाजार के साथ कुशल रूप से लगे रहने को समर्थ बनाकर और स्थानीय रूप से धन के सृजन में सहायता करके, ग्रामीण गरीब युवा-वर्ग की बड़ी संख्या को स्थायी स्व-रोजगार के सृजन को परिकल्पित किया गया है। एसवीईपी प्रक्रिया में बैंकों और वित्तीय संस्थाओँ को ग्राम उद्यमियों के और समीप लाएगा।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के लिए 2015-16 हेतु, कुल परिव्यय 9082.00 करोड़ रुपए है जिसमें से 909.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए चिन्हित किए गए है।

एनएसएपी के अन्तर्गत राज्यों को सहायता में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना, राष्ट्रीय परिवार योजना तथा अन्नपूर्णा योजना शामिल है।

पंचायती राज : पंचायती राज मंत्रालय के लिए 2015-16 का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 94.00 करोड़ रुपए है जिसमें से 10.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए निर्धारित है। पंचायती राज मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य, संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों और जिला नियोजन समितियों से संबद्ध संविधान के भाग IX क में 243 यघ के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करना है।

भूमि सुधार : भूमि सुधार के लिए, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अधिकार के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, मानचित्र, सर्वेक्षण/ पुनः सर्वेक्षण का आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से डिजीटलीकरण, पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, संबंधित कर्मचारियों और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, तहसील/तालुक/सर्किल/ खण्ड स्तर पर भूमि अभिलेखों और पंजीकरण कार्यालयों एवं आधुनिक अभिलेख कक्ष/ भूमि रिकार्ड प्रबंधन केन्द्रों के बीच संपर्क बनाना शामिल है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र करों के वृद्धित वितरण के मद्देनज़र एनएलआरएमपी हेतु राज्य उच्चतर संसाधनों में पूल कर सकेंगे।

भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति (एनआरआरपी), 2007 तैयार की है जिसका उद्देश्य विस्थापन को न्यूनतम करना है तथा जहाँ तक संभव हो, गैर विस्थापन अथवा कम से कम विस्थापन वाले विकल्पों को बढ़ाना है ताकि पुनर्वास पैकेज और पुनर्वास प्रक्रिया के शीघ्र कार्यन्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण

वृहत् सिंचाई-पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

मध्यम सिंचाई: इस घटक के अंतर्गत 340.20 करोड़ रुपए का परिव्यय जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास, जल विज्ञान परियोजना, जल संसाधन विकास योजना के अन्वेषण, जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान तथा विकास, राष्ट्रीय जल अकादमी, सूचना, शिक्षा तथा संचार, नदी थाला संगठन/प्राधिकरण और अवसंरचना विकास, राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन, सिंचाई प्रबंधन, बोडवाड सिंचन योजना और एचआरडी/क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अंतःसंपर्क हेतु एआईबीएफएमपी और डीपीआर के मूल्यांकन अध्ययनों का प्रभाव शामिल है।

लघु सिंचाई : इस क्षेत्र के अंतर्गत 179.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उन कार्यक्रमों के लिए है जो इस क्षेत्र के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने हैं और जिनमें (i) भू-जल प्रबंधन और विनियम, (ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, और (iii) अवसंरचना विकास शामिल हैं।

बाढ़ नियंत्रण : बाढ़-नियंत्रण क्षेत्र के लिए 231.8 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसके अंतर्गत दो श्रेणी के कार्यक्रम हैं, (i) बाढ़ निंयत्रण योजनाएं/ कार्यक्रम और (ii) बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता। इस क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ पूर्वानुमान; सीमा क्षेत्रों में नदी प्रबंधन क्रियाकलाप; ब्रह्मपुत्र बोर्ड और अवसंरचना विकास के लिए प्रावधान है। इस कार्यक्रम में बाढ़ सम्बन्धी आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रहण, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए गहन निगरानी तथा बाढ़ पुर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करना है।

परिवहन सेवाएं : इस घटक के अंतर्गत 100.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है। इसमें फरक्का बांध परियोजना शामिल है जिसका उद्देश्य भागीरथी हुगली नदी सिस्टम के डिजाइन तथा नौवहनता में सुधार करके कलकत्ता पोर्ट को सुरक्षित रखना एवं देख-रेख करना है।

पारिस्थितिक और पर्यावरण : पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्थानांतरित स्कीमों के लिए 650.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, घाट की सफाई और नदी किनारे का सौंदर्यकरण नई स्कीमें हैं। राष्ट्रीय गंगा योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से लिए जाएंगे।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमएसकेवाई : पीएमकेएसवाई निम्नलिखित 3 घटकों वाला अम्ब्रेला कार्यक्रम हैः-

(i) कृषि और सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल कार्यक्रम

(ii) जल संसाधन, नदी और गंगा पुनरुद्धार विभाग के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ स्कीम (एआईबीएफ)

(iii) भू-संधाधन विभाग का जलसंभर घटक

ऊर्जा

विद्युत : विद्युत के लिए कुल परिव्यय **61404.47 करोड़ रुपए** है जिसमें से **6799.74 करोड़ रुपए** बजटीय सहायता है। संपूर्ण बजटीय सहायता दो अम्ब्रेला स्कीमों अर्थात् ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय और विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए फीडर पृथक्ककरण और अम्ब्रेला कार्यक्रम के लिए है। पूर्ववर्ती में पूर्व में आरजीजीवीवाई स्कीम जो अब दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सब्सिडी के घटक शामिल होंगे। इस अम्ब्रेला स्कीम हेतु कुल आबंटन 4500 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 180.00 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति उप आयोजना हेतु 510.48 करोड़ रुपए की धनराशि सहित) है। विद्युत क्षेत्र सुधारों के पश्च उल्लिखित अम्ब्रेला कार्यक्रम में कुल 2299.74 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली सभी मौजूदा स्कीमों के घटक शामिल होंगे। विद्युत क्षेत्र सुधार के लिए कार्यक्रम का क्षेत्र-वार आबंटन निम्नवत होगाः

54604.73 करोड़ रुपए का आईईवीआर - राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (23000.00 करोड़ रुपए), एनएचपीसी (3979.89 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम (3682.93 करोड़ रुपए), नीप्को (1216.60 करोड़ रुपए), सतलुज जल विद्युत निगम लि. (1175.00 करोड़ रुपए), टीएचडीसीआईएल (1550.31 करोड़ रुपए) तथा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (20,000.00 करोड़ रुपए) की योजनाओं/ परियोजनाओं के लिए है।

नाभिकीय ऊर्जाः वर्ष 2015-16 के लिए विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कुल परिव्यय 9795 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में 900.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा 8895.00 करोड़ रुपए के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईवीआर) शामिल हैं। बजटीय सहायता में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. (भाविनी) के लिए इक्विटी निवेश और रूसी परिसंघ की सहायता से कुडनकुलम में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना हेतु 22.00 करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है। आस-पड़ोस विकास परियोजना (कुडनकुलम में) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परियोजनाएं जो विद्युत कार्यक्रम के लिए अनुसंधान व विकास सहायता प्रदान करने के लिए हैं, को भी शामिल किया गया है।

पेट्रोलियम : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 76615.46 करोड़ रुपए है जिसमें आयोजना परिव्यय में 50.00 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 76565.46 करोड़ रुपए तेल और गैस की पीएसयू की आईईबीआर के रूप में है। बजटीय सहायता में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जैस, रायबरेली के लिए 48.00 करोड़ रुपए है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए घरेलू एलपीजी कनेक्शन हेतु एककालिक सहायता की योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पीएसयू की सीएसआर निधियों में से वित्तपोषित की जाएगी।

कोयला और लिग्नाइट : भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसंरचना सहायता के लिए ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कोयला और लिग्नाइट के लिए 2015-16 के लिए आयोजना परिव्यय 13136.50 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। आंशिक रूप से इसे 551.00 करोड़ रुपए की प्रस्तावित सकल बजटीय सहायता में से और आंशिक रूप से अपने आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों में से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 12585.50 करोड़ रुपए में से पूरा किया जाएगा। जो 500.00 करोड़ के जीबीएस और अपने आईईबीआर में से कोयला पीएसयू द्वारा 11505.00 करोड़ रुपए के निवेश वाले वर्ष 2014-15 के लिए 12005.00 करोड़ के आयोजना परिव्यय के संशोधित अनुमानों की तुलना में कोयला पीएसयू द्वारा सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत क्षेत्रीय अन्वेषण (9.43 करोड़ रुपए) व्यापक ड्रिलिंग (13.78 करोड़ रुपए) तथा कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा (13.94 करोड़ रुपए) की योजनाओं हेतु 8.2 प्रतिशत का प्रावधान किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तावित, अनुसंधान और विकास योजनाओं (2.25 करोड़ रुपए) क्षेत्रीय अन्वेषण (11.50 करोड़ रुपए), व्यापक ड्रिलिंग (16.80 करोड़ रुपए) और पर्यावरण उपायों और अनुवर्ती नियंत्रण (0.05 करोड़ रुपए) की स्कीमों के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 10% का प्रावधान किया गया है।

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा : मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य एक पर्यावरण हितैषी और वहनीय तरीके से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का विकास और सदुपयोग करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक आयोजना में 6160.73 करोड़ रुपए (डीबीएस के रूप में 287.67 करोड़ रुपए आईईबीआर के रूप में 3373.06 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से 2500 करोड़ रुपए सहित) का आयोजना परिव्यय रखा गया है। इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(क) ***ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युतः*** पवन, लघुपन, बायोमास विद्युत/सहसर्जन से वर्धित ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा और सौर ऊर्जा; और ऑफ ग्रिड/वितरित नवीकरणीय विद्युत प्रणालियों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान। इसमें (i) 1,00,000 मेगावाट की मेगा नवीकरणीय विद्युत उत्पादन स्कीम, (ii) बेरोजगार स्नातकों, ग्राम पंचायत और लघु स्तर उद्योगों हेतु 20,000 मेगावाट (iii) रूफ-टॉप ग्रिड-कनेक्टिड परियोजनाएं और ऐसी परियोजनाओं के लिए ब्याज सहायता स्कीम, (iv) सौर नीति और अनुप्रयोगों हेतु अंतरराष्ट्रीय अभिकरण का गठन तथा (v) सौर क्षेत्रों की संस्थापना स्कीम और (vi) ''50,000 सूर्य मित्रों के प्रशिक्षण के लिए स्कीम'' हेतु 10 करोड़ रुपए का परिव्यय भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, ''ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत'' के अंतर्गत उपलब्ध एनसीईएफ से निधियां आईएमजी संस्तुतिकृत एनसीईएफ स्कीमों/परियोजनाओं और यथा अनुमोदन के साथ एनसीईएफ के तहत अनुमोदित एसईसीआई के जरिए सौर परियोजनाओं के लिए वीजीएफ स्कीम हेतु भी प्रयोग की जा सकती हैं।

(ख) ***ग्रामीण अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा*** इस प्रावधान का प्रयोग फैमिली प्रकार के बायोगैस सयंत्रों, उन्नत कुक स्टोवों और सौलर कुकर के संवर्धन के लिए किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए प्रावधान शामिल है।

(ग) ***शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जाः*** सौर थर्मल सिस्टम का नियोजन तथा ऊर्जा-सक्षम भवनों को प्रोत्साहन और सौर शहरों के मास्टर प्लान।

(घ) ***नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास*** : नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर आरएंडडी क्रियाकलाप; एमएनआरई केन्द्रों/संस्थानों एनआईएसई, एनआईडब्ल्यूई (एसई तथा एनआईआरई) को सहायता; मानक और परीक्षण; नवीकरणीय ऊर्जा मूल्यांकन (सौर मिशन के अंतर्गत शुरू की जाने वाली अनुसंधान डिजाइन और विकास गतिविधियों सहित)। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा के अनुसंधान, डिजाइन और विकास के अंतर्गत प्रदान की गई एनसीईएफ की निधियों का भी आईएमजी अनुशंशित एनसीईएफ योजनाओं/ परियोजनाओं के लिए विधिवत अनुमोदन से प्रयोग किया जा सकता है।

(ङ) ***सहायक कार्यक्रम*** - नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का सूचना, प्रचार तथा विस्तार; अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध; मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण सहित प्रशासन और मॉनीटरिंग; मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण; राज्यों को सहायता, संबंधी कार्यकलाप सहित)।

उद्योग और खनिज

लोहा एवं इस्पात उद्योगः वर्ष 2015-16 (ब.अ.) के लिए इस्पात मंत्रालय का कुल परिव्यय **13085.47** करोड़ रुपए है जिसमें से **7500.00** करोड़ रुपए की राशि विभिन्न चालू तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्य के लिए **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल)** को उपलब्ध कराई गई है।

1801.00 करोड़ रुपए का परिव्यय **राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.** (ओएमडीसी लि. और बीएसएलसी लि., सहायक कंपनियों) को प्रदान किया गया है। को उत्पादन क्षमता के विस्तार और अभिवर्धन और प्रतिस्थापन के लिए प्रदान किया गया है।

छत्तीसगढ़ में नागरनार में तीन एमटीपीए इस्पात संयंत्रों तथा विभिन्न एएमआर/टाउनशिप विकास योजना के लिए **एनडीएमसी लि.** हेतु 3588.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

एएमआर योजनाओं के लिए **केआईओसीएल लि.** हेतु तथा अनंतापुरामु खान के विकास हेतु तथा अनंतापुरामु में पेलेटाइजेशन तथा लाभकारी संयंत्र की स्थापना करने के लिए 27.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

आरआईएनएन और सेल तथा एएमआर योजनाओं, सहित फेरो मैगनीज/ सिलिको मैगनीज संयंत्र के लिए संयुक्त उद्यम में निवेश हेतु **एमओआईएल लि.** के लिए 127.47 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है।

कार्यालय के विस्तार तथा आधुनिकीकरण हेतु मैकोन लि. के लिए 5.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

श्रेडिंग संयंत्र की स्थापना के लिए एमएसटीसी लि. हेतु 10.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

एएमआर योजनाओं के लिए फेरो स्क्रेप निगम लि. हेतु 12.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए योजना हेतु 15.00 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता प्रदान की गई है, इसमें कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओराइंटिड (सीआरजीओ) स्टील शीट्स तथा अन्य मूल्य वर्धित नवीन इस्पात उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास हेतु आरएंडडी योजना के नए घटक के लिए 1.00 करोड़ रुपए तथा नवीनलौह/इस्पात निर्माण प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विद्यमान आरएंडडी योजना के अन्तर्गत नई परियोजनाओं के लिए 14.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः वर्ष 2015-16 के लिए परिव्यय 2213.47 करोड़ रुपए है जिसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में शामिल निर्माण कार्यक्रमों के लिए 40.00 करोड़ रुपए सहित 570.58 करोड़ रुपए आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन तथा 1642.89 करोड़ रुपए का जीबीएस शामिल है। परिव्यय मुख्य रूप से राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी लि., हिन्दुस्तान कापर लि., खनिज अन्वेषण निगम लि., भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए है।

उर्वरक उद्योगः उर्वरक विभाग द्वारा घाटे वाली तीन पीएसयू नामतः ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि. (बीवीएफसीएल), फर्टिलाजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि. (एफएसीटी) तथा मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.(एमएफएल) को बजटीय सहायता प्रदान की गई है। इस वित्तीय सहायता के आधार पर, घाटे वाली कंपनियां बिना किसी बाधा के अपनी इकाइयां प्रचालित रख सकेंगी तथा उर्वरकों की आपूर्ति एवं उपलब्धता की पुष्टि किसानों को मौसमवार करती रहेंगी। 2015-16 के लिए आयोजना परिव्यय 560.63 करोड़ रुपए है जिसमें से 510.63 करोड़ रुपए की धनराशि आईबीआर से तथा शेष 50.00 करोड़ रुपए धनराशि बजटीय सहायता द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगः रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के लिए परिव्यय 188.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 126.10 करोड़ रुपए कौशल विकास, नए केन्द्रों की स्थापना और अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए है।

भारी उद्योग विभाग : भारी उद्योग विभाग के लिए आयोजना परिव्यय 1565.10 करोड़ रुपए है जिसमें 895.22 करोड़ रुपए का आईईबीआर तथा 669.88 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। वार्षिक आयोजना में मोटे तौर पर रुग्ण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के पुनरुद्धार/ पुनसंरचना और सीपीएसई/स्वायत्त निकायों को परियोजना आधारित सहायता (110.99 करोड़ रुपए); राष्ट्रीय आयोमेटिव परीक्षण अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (एनएटीआरआईपी) का कार्यान्वयन (300 करोड़ रुपए), 'ताप विद्युत संयंत्रों हेतु उन्नत अल्ट्र सुपर क्रिटिकल (एडीबीयूएससी) प्रौद्योगिकी' हेतु 50.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, आटोमोटिव क्षेत्र परीक्षण अवसंरचना और विद्युत वाहन संबंधी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए 75.00 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम और कार्यालय के आधुनिकीकरण, व्यवसायगत और विशेष सेवाओं, विज्ञापन और प्रचार तथा सूचना-प्रौद्योगिकी के लिए 104.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

औद्योगिक और खनिज सेक्टर (परमाणु ऊर्जा): औद्योगिक और खनिज (आई एंड एम) क्षेत्र के अन्तर्गत 2015-16 के लिए परिव्यय 5310.92 करोड़ रुपए है। योजना परिव्यय में 5000.00 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 310.92 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आं.ब. बाह्य संसाधनों के रुप में हैं। 310.92 करोड़ रुपए के आं. ब बा. सं. में इंडियन रेयर अर्थ लि., इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि. और यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. जैसे विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। बजटीय सहायता में ग्यारहवीं योजना की चल रही स्कीमों और बारहवीं योजना की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, नाभिकीय ईंधन कम्पलेक्स, हैवी वाटर बोर्ड और रेडिएशन एवं आइसोटोप टेक्नोलोजी बोर्ड की नई योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है। यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. में इक्विटी में निवेश के रूप में बजटीय सहायता की भी परिकल्पना की गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के लिए 3,042.51 करोड़ रुपए (आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 430.00 करोड़ रुपए सहित) का परिव्यय है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (1050.00 करोड़ रुपए), प्रौद्योगिकी गुणवत्ता समर्थन और कार्यक्रम (360.50 करोड़ रुपए) अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण (300.00 करोड़ रुपए ईएपी सहित), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (430.00 करोड़ रुपए) (आईईबीआर) भारत नवोन्मेष, उद्यमशीलता और कृषि-उद्योग कोष के लिए 200.00 करोड़ रुपए। खादी उद्योग (145.95 करोड़ रुपये), प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (80.00 करोड़ रुपये), पारम्परिक उद्योग पुनर्संरचना निधि स्कीम (50.00 करोड़ रुपये), निष्पदान और क्रेडिट रेटिंग (28.00 करोड़ रुपये), भारत समावेशी नवोन्मेष निधि (25.00 करोड़ रुपये और विपणन सहायता (14.00 करोड़ रुपये) शामिल है।

वस्त्रोद्योगः कपड़ा मंत्रालय के लिए 3523.32 करोड़ रुपए का परिव्यय (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 352.33 करोड़ रुपए, एससीएसपी के लिए 176.17 करोड़

रुपए और टीएसपी के लिए 42.28 करोड़ रुपए सहित) मुख्यतः इनके लिए है; (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना-(1520.79 करोड़ रुपए), (ii) मानव संसाधन विकास (201.00 करोड़ रुपए), (iii) एकीकृत टेक्सटाईल पार्क (240.00 करोड़ रुपए, (iv) जियो टेक्सटाईल पूर्वोत्तर क्षेत्र का उपयोग (85.00 करोड़ रुपए), (v) पूर्वोत्तर टेक्सटाईल प्रोत्साहन योजना (157.00 करोड़ रुपए), (vi) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (150.00 करोड़ रुपए)(vii) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (150.00 करोड़ रुपए। (viii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (20.00 करोड़ रुपये), (ix) धागा आपूर्ति योजना/मिल गेट मूल्य स्कीम (150.00 करोड़ रुपये) और (x) व्यापार सुविधा केन्द्र तथा शिल्प संग्रहालय (80.00 करोड़ रुपये)।

परिवहन

रेलवेः रेलवे का वार्षिक आयोजना परिव्यय 1,00,010.60 करोड़ रुपए है। इस राशि में से, 41645.60 करोड़ रुपए की पूर्ति सकल बजटीय सहायता से की जाती है, जिसमें रेलवे का डीजल उपकर में से 1,645.60 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल है।

सड़क परिवहन और राजमार्गः सड़क नेटवर्क का विकास और उपयुक्त रखरखाव आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने तथा अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए, बजटीय सहायता बढ़ाकर 42912.65 करोड़ रुपये कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए आबंटन-निवेश 22,920.09 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य (एनएच(ओ) घरेलू यात्रा और मशीनरी सहित)-4,211.56 करोड़ रूपये, विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (कलादान मल्दी मॉडल परिवहन परियोजना हेतु आबंटन सहित)-4,000 करोड़ रुपये, वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संबद्धता के विकास हेतु विकास कार्यक्रम (जनजातीय उप-आयोजना के लिए 400.00 करोड़ रूपये सहित)-1,200 करोड़ रुपये है।

पोत परिवहन- वर्ष 2015-16 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 4546.53 करोड़ रुपए है, जिसमें जीबीएस के रूप में 932.79 करोड़ रुपए शामिल हैं। यह भारतीय पोत परिवहन, पत्तनों, सागर माला परियोजना सहित अंतर्देशीय जल परिवहन और पोतनिर्माण उद्योगों के विकास के लिए है। इसमें आंतरिक बजट और बाह्य संसाधनों के रूप में 3615.74 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। 932.79 करोड़ रुपये के जीबीएस में से, 200 करोड़ रुपये का प्रावधान सागरमाला परियोजना हेतु रखा गया है। इस परियोजना में, पत्तनों को सड़क और रेल के माध्यम से भीतरी क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा।

नागर विमाननः 2500.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता एयर इंडिया लिमिटेड में इक्विटी पूंजी निवेश के रूप में निर्धारित की गयी है। 50.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता मंत्रालय (मुख्य) को आयोजना स्कीमों के व्यय को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 80.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई है, जिसमें से 22.00 करोड़ रुपए की राशि पकयोंग, सिक्किम **(पूर्वोत्तर क्षेत्र)** में इसकी परियोजना के लिए निर्धारित की गई है। 50.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता नागर विमानन महानिदेशालय को उनकी आयोजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए दी गई है। 40.00 करोड़ रुपए का प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के लिए उनकी आयोजना स्कीमों में व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है।

ग्रामीण सड़कें (सड़कें और पुल)ः वर्ष 2015-16 के लिए कुल परिव्यय 14291.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1155.00 करोड़ रुपए का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए रखा गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, कोर नेटवर्क में विद्यमान सभी पात्र और पहले से न जुड़े वासस्थलों को सभी मौसमों में बनी रहने वाले सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निहित एक केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले सभी आईक सड़क मार्ग से न जुड़े हुए वासस्थलों को और पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय (सूची-V) क्षेत्रों, मरूस्थल क्षेत्रों (मरूस्थल विकास कार्यक्रम में चिन्हित) तथा गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत चिन्हित किए गए अनुसार 82 चुनिंदा आदिवासी तथा पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क संबद्धता प्रदान करने के लिए कुल 1,78,184 वासस्थलों का लक्ष्य रखा गया है। खेती को बाजार से पूरी तरह से संबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूदा ग्रामीण सड़कों का दायरा 3.75 लाख कि.मी. (राज्यों द्वारा किए जाने ग्रामीण क्षेत्रों के 40% नवीकरण सहित) के लक्ष्य के साथा-साथ इस कार्यक्रम का एक उन्नयन घटक भी है।

संचार

डाक सेवाएंः वर्ष 2015-16 हेतु डाक विभाग के लिए 468.61 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय प्रावधान 46.87 करोड़ रुपए शामिल है)। आयोजना का मुख्य जोर इन स्कीमों से संबंधित है (i) डाक प्रचालन (52.03 करोड़ रुपए), (ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन और आधुनिकीकरण (276.40 करोड़ रुपए), (iii) संपदा प्रबंधन (34.98 करोड़ रुपए), (iv) प्रीमियम सेवाएं (11.55 करोड़ रुपए), (v) मानव संसाधन प्रबंधन (20.66 करोड़ रुपए), (vi) वित्तीय सेवाएं (बचत बैंक और प्रेषण) (3.35 करोड़ रुपए), (vii) ग्रामीण कारोबार और पोस्टल नेटवर्क में पहुंच (24.03 करोड़ रुपए), (viii) पोस्टल परिचालन (34.92 करोड़ रुपए) और (ix) डाक जीवन बीमा (6.70 करोड़ रुपए) और फिलेटली प्रचालन (3.99 करोड़ रुपए)।

दूरसंचार सेवाएंः वर्ष 2015-16 हेतु दूरसंचार विभाग का आयोजना परिव्यय 5199.95 करोड़ रुपये है (एनईआर के लिए 520.00 करोड़ रुपए और आदिवासी उप आयोजना के लिए 13.00 करोड़ रुपए) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (2400.00 करोड़ रुपए, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की टेलीफोन व्यवस्था, एनईआर के लिए 260.00 करोड़ रुपए), रक्षा सेवाओं हेतु नेटवर्क (2400.00 करोड़ रुपए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तथा आईटीआई लि. के पुनरुद्धार हेतु 50.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकीः संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) देश में इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने, उनके क्रियान्वयन और समीक्षा के साथ-साथ भारत को डिजिटली रूप से शक्तिसंपन्न समाज और समझदार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने पर केन्द्रित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। आईटी क्षेत्र का 12वीं योजना में दृष्टिकोण और मिशन है - ई अवसंरचना सृजन की एक बहुमुखी कार्यनीति के जरिए भारत का ई-विकास करना ताकि फास्ट ट्रैक ई-गवर्नेंस आसान किया जा सके, इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी - सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग जो नवीन/अनुसंधान एवं विकास, जानकारी नेटवर्क बनाने और भारत से साइबर स्पेस को सुरक्षा प्रदान करने में उपयोगी होगा।

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए डीईआईटीवाई का आयोजना परिव्यय 2568.00 करोड़ रुपए है (आईईबीआर के 897.93 करोड़ रुपए के अतिरिक्त)। 'डिजिटल इंडिया' एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके दायरे में सूचना प्रौद्योगिकी में कौशलों हेतु मानव शक्ति विकास इलेक्ट्रानिकी आधारित अभिशासन , साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय जानकारीपरक नेटवर्क, डीओईएसीसी, सूचना-प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी ईएस उद्योगों का संवर्धन आदि आते हैं। बजटीय सहायता में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए 257.00 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति उप आयोजना (एससीएसपी) के लिए 51.00 करोड़ रुपए और जनजाति

उप आयोजना (टीएसपी) के लिए 172.00 करोड़ रुपए का प्रावधान बजटीय सहायता में शामिल है। इसमें निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की वर्तमान स्कीमों से संबंधित योजनाओं पर बल दिया गया है, (i) डिजीटल इंडिया कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए जनशक्ति विकास (705 करोड़ रुपए); (ii)एनआईसी (700 करोड़ रुपए)जिसमें (iii) इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (450 करोड़ रुपए) (iv) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (v) (150 करोड़ रुपए); सीईआरटीइन और आईटी एक्ट सहित साइबर सुरक्षा (120 करोड़ रुपये); (vi) इलेक्ट्रानिक्स/आईटी हाईवेयर विनिर्माण, संघटक और सामग्री विकास, सूक्ष्म इलेक्ट्रानिक्स तथा नेनो प्रौद्योगिकी विकास ,भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) और ईएचटीपी, एकीकृत टाऊनशिप स्थापना को सुकर बनाना,अभिसरण, वाणिज्य वं राजनीतिक इलेक्ट्रानिक्स, शिक्षा और अनसंधान नेटवर्क (ईआरएनईटी), और मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स तथा स्वास्थ्य सूचना विज्ञान में अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्यकलापों सहित सूचना प्रौद्योगिकी तथा आईटी ईएस उद्योगों का संवर्धन (100 करोड़ रुपये); (vii) प्रौद्योगिकी विकास परिषद/आईटीआरए परियोजनाओं, मीडिया लैब एशिया (एमएलए), सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (समीर), भारतीय भाषाओं के लिए अनुप्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक एवं प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित कार्यकलापों सहित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी (एनआईईएलआईटी) (100 करोड़ रुपए); (viii) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता (75 करोड़ रुपए); (ix) उन्नत संगठन विकास केन्द्र (75 करोड़ रुपए); और (x) अन्य जिसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सचिवालयी व्यय तथा विविध व्यय शामिल हैं (68 करोड़ रुपए)।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

परमाणु ऊर्जा अनुसंधानः वर्ष 2015-16 हेतु अनुसंधान और विकास क्षेत्र के लिए 3819.00 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, पूर्ण रुप से सहायता प्राप्त/सहायता अनुदान प्राप्त संस्थानों जैसे टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केन्द्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, शिक्षा एवं अनुसंधान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, गणित विज्ञान संस्थान की XIवीं योजना की जारी स्कीमों को और XIIवीं योजना की नई स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड जैसी दूसरी संस्थाओं के लिए निधिपोषण है। अंतर्राष्ट्रीय थरमोन्युक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, और डीएई-यूआईसीटी सेंटर फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में व्यय की व्यवस्था है। परिव्यय में सर्वेक्षण तथा परमाणु अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा यूरेनियम के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण और "हरियाणा में नाभिकीय ऊर्जा भागीदारी के लिए वैश्विक केन्द्र" जैसी अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं।

अंतरिक्ष अनुसंधानः अंतरिक्ष विभाग के लिए 2015-16 हेतु वार्षिक आयोजना परिव्यय (प्रस्तावित) 6000.19 करोड़ रूपए है, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैं:-

(i) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए 3719.63 करोड़ रुपए

(ii) अन्तरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 651.70 करोड़ रुपए

(iii) अन्तरिक्ष विज्ञान के लिए 235.76 करोड़ रुपए

(iv) निदेशन और प्रशासन/अन्य कार्यक्रम के लिए 94.10 करोड़ रुपए

(v) इनसेट कार्यात्मकता के लिए 1281.00 करोड़ रुपए

समुद्र विज्ञान अनुसंधान और मौसम विज्ञानः पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का वर्ष 2015-16 हेतु समग्र आयोजना परिव्यय 1179.00 करोड़ रुपये है। इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में मौसम (सामान्य), कृषि, विमानन, नौवहन, खेल आदि के संबंध में मौसम संबंधी विशिष्ट सलाह देना, मानसून, आपदा (चक्रवात, भूकंप, सुनामी समुद्र तल में बढ़ोतरी), जीवंत अथवा निर्जीव संसाधन (मत्सय संबंधी सलाह, पॉली मेटलिक नोडुल्स, गैस हाइड्रेट, निर्मल जल आदि) तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन, समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से यूटी से जुड़े क्षेत्रों में योगदान करने वाली नीतियां और कार्यक्रम आते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की आयोजना स्कीमों का परिव्यय 3401.50 करोड़ रुपये है जो निम्नलिखित छह प्रमुख उद्देश्यों के तहत इस विभाग के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए है : नीति निर्माण, मानव क्षमता का सुदृढ़ीकरण, संस्थागत क्षमता में सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, भागीदारी और गठजोड़ तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामाजिक हस्तक्षेप।

इस विभाग की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों में नीतिगत अनुसंधान और पूर्वानुमान अध्ययन शुरु करने की योजना है।

मानव क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों के अन्तर्गत, अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान क्षेत्र में नवाचार और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों को और मजबूत किया जाएगा। महिला वैज्ञानिकों को आरएण्डडी क्रियाकलापों के लिए विभाग से सहायता दी जाएगी। रोजगाररत महिला वैज्ञानिकों की वहनीयता के लिए कार्यक्रमों का भी ध्यान दिया जा रहा है।

इस उद्देश्य के साथ कि शैक्षिक और आरएण्डडी संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार किया जाए, संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रमों को और अधिक मजबूत किया जाएगा।

यह विभाग तकनीकी विकास और तैनाती संबंधी कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए कार्य करेगा। उपयोगकर्ता जिन्हें तकनीकियों की आवश्यकता है को तकनीकी उद्देश्यों के चयन में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। तकनीकी प्लेटफार्मों के सृजन के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी विकास के लिए इस कार्य की पहल भी की जाएगी। नवाचार कलस्टरों, सुरक्षा तकनीकी सौर ऊर्जा अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन पर विभाग को सौपें गए मिशनों के विकास संबंधी कार्यक्रमों को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

राज्य विज्ञान और तकनीकी मेकनिज्म को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। सरकारी निजी भागीदारी और केंद्र-राज्य प्रौद्योगिकी भागीदारी का नया तंत्र स्थापित किया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सामाजिक समझौता विभाग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। सहायता के लिए नई संस्थाओं का पता लगाकर उद्यमशीलता तथा उद्भवन कार्यक्रमों को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाली आबादी के लाभ के लिए एससीएसपी तथा टीएसपी के लिए धनराशि भी चिन्हित की गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र विकासशील प्रौद्योगिकी और नवाचारों पर काम कर रहा है जिसे मानकीकृत किए जाने की और इन नवाचारों को आम आदमी तक पहुँचाए जाने की जरूरत है और इन नवाचारों के उन्नयन और समर्थन के लिए ''आम आदमी के लिए समावेशी नवाचारों की निधि'' बनाई जा रही है।

''तकनीकी अनुसंधान केन्द्र'' नामक नई पहल के लिए भी आवंटन चिन्हित किए गए हैं।

अन्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधानः वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का आयोजना परिव्यय 2281.00 करोड़ रुपये है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को 2241.00 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान शामिल है। आयोजना कार्यकलाप दस स्कीमों के माध्यम से चलाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 6 वर्तमान स्कीमें है और चार नई स्कीमें हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना (वर्तमान में चल रही) के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, सूचना विज्ञान और भौतिक विज्ञान में आरएंडडी गतिविधियां प्रारंभ की जाएगी। उत्पाद प्रक्रिया विकास को मापना और उसे वैध करना मुख्य कार्यकलाप होगा। वर्तमान में चल रही अन्य योजनाओं नामतः राष्ट्रीय एसएंडटी मानव संसाधन विकास, बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन; आरएंडडी प्रबंधन सहायता, नई सहस्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल और नवाचार समूह, के अंतर्गत गतिविधियाँ सुकेन्द्रित लक्ष्यों के रुप में प्रारंभ की जाएंगी।

विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की आयोजना गतिविधियां चार विभागीय योजनाओं के जरिए चलाई जाने के लिए प्रस्तावित हैं जो इस प्रकार हैं, (i) व्यक्तियों, स्टार्ट-अप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (प्रिज्म) में नवाचार का संवर्धन, (ii) पेटेंट अभिग्रहण और सहयोगी अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास (पेस) (iii) औद्योगिक आरएंडडी तथा सामान्य अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण और (iv) प्रौद्योगिकी विकास हेतु ज्ञान और प्रसार तक पहुंच (ए2के+) और सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों संबंधी योजनाएं नामतः (i) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईल) और (ii) नेशनल रिसर्च विकास निगम (एनआरडीसी) और कंसलटेंसी विकास केन्द्र (सीडीसी) जो एक स्वायत्त संगठन है।

जैव प्रौद्योगिकीः जैव प्रौद्योगिकी विभाग का 2015-16 का परिव्यय 1606.80 करोड़ रुपये है। सिस्टम जीवविज्ञान, सिंथेटिक जीवविज्ञान, परिकलन विज्ञान, नैनो जैवप्रौद्योगिकी और अन्य उभरते क्षेत्रों में नेटवर्क परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रमुख पहलें भी स्थापित की जाएंगी। इस वर्ष के दौरान की जाने वाली प्रमुख पहलों में कृषि और देखभाल में बुनियादी अनुसंधान से जुड़े अंतर-संस्थागत केंद्र स्थापित करना, कृषि उत्पादकता के बेहतर किस्मों के लिए आणविक प्रजनन, गर्भावस्था, शिशु जन्म और पोषहार के क्षेत्रों में महा चुनौती कार्यक्रम पृथक प्रबंधन और अभिशासन तंत्र के जरिए शुरु किया जाएगा। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम मजबूत किया जाएगा ताकि विदेशों में बसे वैज्ञानिकों को भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालय में आकर काम करने के लिए आकर्षित किया जा सके। जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) जिसे सैक्शन 25 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है, लघु कारोबार नवाचार अनुसंधान पहल तथा जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक भागीदारी कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगी। फरीदाबाद, बंगलौर, तथा पूर्वोत्तर में स्थापित की जाने वाले जैव प्रौद्योगिकी समूहों की अभिकल्पना कर ली गई है तथा केन्द्रों, इंकुवेटरों, संस्थागत अवसंरचना और प्लेटफार्मों का निर्माण और प्रचालन प्रारंभ कर दिया गया है। स्थापित छह नए संस्थानों के मुख्य परिसरों में भवन निर्माण गतिविधियों को लक्ष्यों के अनुरूप पूरा किया जाएगा। अतिरिक्त अनुसंधान संसाधन जैसे विनियामक जांच सुविधा, नॉक आउट एनिमल हाउस और बड़े पशु की सुविधाएं, ट्रांसलेशनल प्लेटफार्म और कृषि स्वास्थ्य देखभाल उद्योग और अकादमियों को सेवा देने हेतु स्थापित किए जाएंगे।

भेषजः इस विभाग का परिव्यय 210.00 करोड़ रुपए है जिसमें 8 राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (निपेर) को 98.96 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है जिनका केन्द्र मोहाली, कोलकाता, अहमदाबाद, रायबरेली, हैदराबाद, हाजीपुर, मदुराई और गुवाहाटी में है। जन औषधि स्कीम को 35.00 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है। नई भेषज योजनाओं, जिसमें कलस्टरों का विकास शामिल है, को 15.00 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है।

पर्यटनः पर्यटन मंत्रालय का परिव्यय 1483.20 करोड़ रुपए है (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 148 करोड़ रुपए तथा टीएसपी के अंतर्गत 37.00 करोड़ रुपए शामिल है)। योजनाओं के लिए कुल परिव्यय गंतव्य स्थलों तथा सर्किटों के अवसंरचना विकास, आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार, बाजार विकास सहायता सहित समुद्रपारीय संवर्धन और प्रचार, होटल प्रबन्धन संस्थानों/पाक कला उद्योग को सहायता, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण, आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन, 20 वर्ष की परिदृश्य योजना सहित बाजार अनुसंधान, कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेन्सियों को सहायता तथा होटलों के लिए भूमि बैंक की स्थापना के लिए है। पर्यटक अवसंरचना के विकास और वर्धन हेतु स्वदेश दर्शन (पर्यटक सर्किट) विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए और तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण हेतु प्रसाद के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राज्यों को अपने वर्धित संसाधनों से स्थानीय जरूरतों के अनुसार पर्यटक अवसंरचना के विकास में अधिक लोचशीलता दी गई है।

विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धनः वाणिज्य विभाग के लिए 1,425.15 करोड़ रुपए का परिव्यय है। कृषि निर्यात के विकास व संवर्धन हेतु कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण हेतु 120 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए सहित); समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास और समुद्री उत्पाद निर्यात के लिए समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण (115 करोड़ रुपए)। विभिन्न बागान बोर्डों जैसे चाय, कॉफी, रबड़ तथा मसाला तथा काजू ईपीजी हेतु 495.00 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर में 135.00 करोड़ रुपए सहित आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यकलापों के लिए 12.65 करोड़ रुपए (सचिवालय, डीजीएफटी और डीजीसीआईएस को), राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (200 करोड़ रुपए) निर्यात ऋण गारंटी निगम में निवेश हेतु 50.00 करोड़ रुपए निरंतर आधार पर भारत के निर्यात के संवर्धन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए बाजार पहुंच पहल कार्यक्रम हेतु 200.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

कारपोरेट कार्यः वर्ष 2015-16 हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 24.00 करोड़ रुपए है। यह मुख्यतः कारपोरेट मामलों में दीर्घावधिक और अल्पावधिक पाठ्यक्रमों को चलाने के विभिन्न विषयों, एनजीओ हब की स्थापना करने और कारपोरेटों के अन्य सीएसआर संबद्ध सेवाओं को उपलब्ध कराने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की वकालत और प्रचार-प्रसार और अन्तर विषय अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतर-विषय अनुसंधान और सूचना/ज्ञान विनिमय के लिए विभिन्न संभावित सहयोगों संबंधी - खोज का प्रावधान है।

वित्तीय सेवाएंः 2015-16 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड, इंडिया माइक्रो फाइनेस इक्विटी फण्ड के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) और कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी के पुनः पूंजीकरण हेतु 9,555.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विदेश मंत्रालयः विदेश मंत्रालय के लिए परिव्यय 5336.20 करोड़ रुपए है। यह प्रावधान मुख्यतः पड़ोसी देशों को भारत के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम की दिशा में अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया है। ये परियोजनाएं भूटान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान में स्थित हैं। बिहार सरकार द्वारा नालंदा में दिए गए स्थान पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की परियोजना चल रही है। यह विश्वविद्यालय अकादमिक उत्कृष्टता के अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रुप में स्थापित किया जाएगा।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालयः प्रवासी कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए इस मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय 20.00 करोड़ रुपए है जिसका उद्देश्य

विदेशों में भारतीय युवाओं के रोजगार को बढ़ाना है और उन्हें प्रशिक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराकर आगे बढ़ाना है जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय पहचान दिलाइ जाएगी।

सामाजिक सेवाएं

सामान्य शिक्षाः सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए 39,038.50 करोड़ रुपए तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 15,855.26 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। शिक्षा उपकर से प्रति आगमों द्वारा 27,575.00 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। इसे प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा कोष के अंतर्गत निधि का उपयोग मुख्यतया सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन स्कीम के लिए किया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) : सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए किया गया है। इसका क्रियान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच भागीदारी से किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सुलभता, साम्यता बनाए रखने और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रयास है। एक अतिरिक्त घटक बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से रखे गए 2,180.00 करोड़ रुपए सहित सर्व शिक्षा अभियान के लिए 22,000.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

मध्याह्न भोजन योजनाः प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध राष्ट्रीय पोषाहार समर्थन कार्यक्रम, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है, प्राथमिक और प्राथमिक उच्च स्तर के बच्चों के लिए विश्व के सबसे बड़े भोजन कार्यक्रम के रूप में उभरा है। प्राथमिक स्तर पर प्राप्त सफलता को देखते हुए इस योजना का विस्तार 1 अक्तूबर, 2007 से 3,479 शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में उच्च प्राथमिक स्तर पर किया गया है। वर्ष 2008-09 से इस कार्यक्रम में देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्रारम्भिक स्तर के बच्चों (कक्षा I से VIII तक) को शामिल किया जाता है। इस योजना हेतु परिव्यय 9,236.40 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए 907.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

माध्यमिक शिक्षाः माध्यमिक शिक्षा के लिए 6,022.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 595.00 करोड़ रुपए भी शामिल है। इस आबंटन में अन्य के साथ-साथ नवोदय विद्यालय समिति के लिए 1550.00 करोड़ रुपए (155.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए 875.00 करोड़ रुपए (87.50 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन शामिल है। सर्वशिक्षा अभियान की सफलता और माध्यमिक शिक्षा के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उच्चतर प्राथमिक स्तर को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए एक प्रमुख नीतिगत कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना को 3,565.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर के लिए 350.00 करोड़ रुपए) का अनुमोदन किया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा - प्रौढ़ शिक्षा के लिए 86.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 8.60 करोड़ रुपए) आवंटित किये गए हैं। इस आवंटन में अन्य के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए एनजीओ/संस्थाओं/एसआरसी की सहायता के लिए 75.00 करोड़ रुपए (7.50 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा - उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए योजनान्तर्गत 15,855.26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि में विभिन्न उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 3,905.00 करोड़ रुपए का आबंटन प्रदान किया गया है जिसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन शामिल है। ''राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान" के लिए 155.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 269.03 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान किया गया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अधिक अंतरण को देखते हुए राज्यों से अधिक हिस्सा लेने के लिए स्कीम हेतु केन्द्रः राज्य निधियन पैटर्न में उपयुक्त आशोधन किया जाएगा। आईसीटी के माध्यम से शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन" के लिए 200.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 20.00 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी रहा है, के लिए 125.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 12.50 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है।

तकनीकी शिक्षाः तकनीकी शिक्षा हेतु 6,705.00 करोड़ रुपए का प्रावधान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 708.98 करोड़ रुपए सहित) है और इसमें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम आदि के लिए सहायता शामिल है। इसमें से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 2,000.00 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 165.00 करोड़ रुपए शामिल हैं) का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 1,190.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 410.98 करोड़ रुपए)। भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान हेतु 610.00 करोड़ रुपए (जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर शामिल है) की व्यवस्था की गयी है। आईआईएम के लिए 300.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आईआईटी/आईआईएम की स्थापना के लिए 1,000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

खेलकूद और युवा सेवाएं: युवा कार्य और खेल मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 1,389.48 करोड़ रुपए है। युवा कार्य के क्षेत्र में प्रावधान मुख्यतया नेहरू युवा केन्द्र संगठन, युवा नेता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय युवा कोर के लिए है। खेलों के संबंध में, भारतीय खेल प्राधिकरण, राजीव गाँधी खेल अभियान, जम्मू व कश्मीर में खेल सुविधाओं को बढ़ाने की योजना, पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय की योजना, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता तथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पद्धति कार्यक्रम के लिए ज्यादा आबंटन किया गया है।

कला और संस्कृतिः वर्ष 2015-16 में संस्कृति मंत्रालय के लिए 1,455.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। राष्ट्रीय कला संस्कृति विकास एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र कला और संस्कृति स्कीम, और सहस्त्राब्दी समारोह, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संग्रहालय, पुस्तकालय और अभिलेखागार पुस्तकालय आदि आते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 145.50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संगठनों/स्कीमों के अंतर्गत जन जाति उप-योजना के अंतर्गत 29.10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्यः वर्ष 2015-16 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का योजना परिव्यय 24,549.00 करोड़ रुपए है (सीएसएस 18,295.00 करोड़ रुपए और सीएस - 6,254.00 करोड़ रुपए)।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) स्कीम का उद्देश्य नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों की स्थापना और मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेज संस्थानों के उन्नयन की परिकल्पना है। 2015-16 के दौरान इस योजना के लिए 2,206.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ ही, इसका नामकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किया गया। मिशन सभी को साम्यतापूर्ण, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा अनुकूल हो उपबन्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। बाल और मातृत्व मृत्युदर में कमी लाने तथा जनसंख्या में स्थिरता लाने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, टीकाकरण में तेजी लाई गई है। मानव संसाधन

विकास तथा डाक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण पूरे जोरों से शुरू किया गया है। सभी राज्यों ने मिशन को कार्यान्वित किया है और सभी स्तरों पर अतिरिक्त प्रबंधन, लेखाकरण और आयोजना समर्थन के माध्यम से स्वास्थ्य प्रदायगी प्रणाली में नई जान फूंकी जा रही है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार उच्च अंतरण को देखते हुए एनएचएम के लिए राज्यों से अधिक हिस्सा पाने हेतु केन्द्रः राज्य निधियन पैटर्न में आशोधन किया जाएगा। प्रत्येक गांव में मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति करके, बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या को, स्वास्थ्य शिक्षा और संवर्धन को बढ़ावा देकर, कमजोर तबकों को और निकट लाया गया है।

स्वास्थ्य अनुसंधानः स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो एक शीर्ष निकाय है, जिसे जैव-चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन, समन्वयन और तैयार करने हेतु अधिदेश प्राप्त है, को केन्द्र सरकार से स्वास्थ्य-पोषण, असंचारी रोग में अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान के लिए रखरखाव अनुदान प्राप्त होता है। परिषद जनजातीय स्वास्थ्य, पारंपरिक दवाइयां और सूचना के प्रकाशन और प्रसार में भी कार्यरत है।

एड्स नियंत्रण विभाग : एड्स नियंत्रण विभाग 100% केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-iv किया गया है। इसका लक्ष्य रोकथाम, देखभाल, सहायता और उपचार के कार्यक्रमों को एकीकृत करके देश में एचआईवी महामारी को रोकना व इसे उखाड़ फेंकना है।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष): आयुष का उद्देश्य संगठित व वैज्ञानिक तरीके से भारतीय दवा प्रणालियों का विकास व संवर्धन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग ने अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजना और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित की हैं। आयुष का संवर्धन एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत आयुष प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और विकास, अनुसंधान और विकास और इस क्षेत्र की शैक्षिक संस्था शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखरेख प्रदायगी, उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक भाग बनाकर आयुष प्रणाली की भागीदारी/समेकन पर भी जोर दिया जा रहा है।

महिला और बाल विकासः मंत्रालय का 2015-16 का आयोजना परिव्यय 10,286.73 करोड़ रुपए है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लाभ के लिए 1,028.70 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस स्कीम में छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व उपचाराधीन माताओं के स्वास्थ्य, पोषाहार व शैक्षिक सेवाओं के एकीकृत पैकेज की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, रेफरल सेवाएं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा शामिल है। स्कीम को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने मांग पर 20,000 आंगनवाड़ी सहित 7076 परियोजनाओं की संचयी संख्या और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आगंनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं। सरकार ने मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का 66 स्कीमों में पुनर्गठन किया है। आईसीडीएस स्कीम को अब राष्ट्रीय पोषाहार मिशन और विश्व बैंक की सहायता से चल रही आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण और पोषाहार सुधार परियोजना में विलय कर दिया गया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार उच्च अंतरण को देखते हुए राज्यों से अधिक हिस्सा लेने के लिए इस स्कीम हेतु केन्द्रः राज्य निधियन पैटर्न में आशोधन होगा।

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अंतर्गत कुपोषण के विरुद्ध 19.11.2012 को राष्ट्रव्यापी आईईसी अभियान शुरु किया गया है और 28.12.2012 से बहु-चैनल तरीके के जरिये चार चरण वाले अभियान का प्रचार शुरु किया गया है। चुंनिदा 200 भारग्रस्त जिलों में मातृत्व और बाल कुपोषण के निदान हेतु बहु-क्षेत्रक कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार की गई है। इस कार्यक्रम से राज्य, जिला, ब्लाक और ग्राम स्तरों पर सुदृढ़ संस्थागत और कार्यक्रम समरुपता के जरिये विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को इकट्ठा करने का प्रस्ताव है। आईएसएसएनआईपी की परिकल्पना बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण के जरिये विद्यमान आईसीडीएस कार्यक्रम की सहायता करना और मूल्यवर्द्धन प्रदान करने के साथ-साथ चुंनिदा राज्यों/जिलों को शीघ्र बाल्य अवस्था शिक्षा और पोषाहार परिणाम प्राप्त करने के लिए आईसीडीएस हेतु प्रयोग करने, नवोन्मेषण और संभावित रुप से अधिक प्रभावी दृष्टिकोणों वाले प्रयोग करने की अनुमति देना है।

मंत्रालय ने 2009-10 से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "एकीकृत बाल संरक्षण योजना" शुरु की है। इस स्कीम का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की खुशहाली बढ़ाना तथा दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, त्याग और माता-पिता से अलग होने की परिस्थिति एवं असुरक्षा कम करना है। आईसीपीएस के लिए 2015-16 में 402.23 करोड़ रुपए का आवंटन है। दूसरी केंद्रीय प्रायोजित योजना नामतः राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (सबला) 2010-11 से कार्यान्वयनाधीन है जो किशोरी कन्याओं (11-18 वर्ष) की बहु-पक्षीय समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है। शुरु में यह स्कीम प्रयोगिक आधार पर देश भर में 205 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2015-16 में सबला के लिए आबंटन केन्द्रीय योजना में केवल 10 करोड़ रुपए है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियन निर्भया निधि के जरिए होगा, जिसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 680 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है।

पुनर्गठित स्कीम के अंतर्गत एक नई स्कीम अर्थात् इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण स्कीम है। स्कीम के दो घटक हैं अर्थात आईजीएमएसवाई और महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम, महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत चार उप-स्कीमें अर्थात राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, स्वाधार गृह, महिला हेल्पलाइन और एकल स्टोप सेंटर हैं। अम्ब्रेला स्कीम के लिए केवल केन्द्रीय आयोजना के अंतर्गत आबंटन दिया जाता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियन निर्भया निधि के जरिए होता है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण 8 मार्च 2010 में शुरु किया गया, इसका लक्ष्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/कार्यक्रमों की समाभिरूपता से इन सभी मोर्चों पर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके साथ साथ मिशन मंत्रालयों/विभागों द्वारा जेंडर बजटिंग का मानीटरन और समीक्षा करता है। 2015-16 के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए आबंटन केन्द्रीय आयोजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग स्कीम, जो एक सशर्त मातृत्व लाभ स्कीम है, आईसीडीएस कार्यक्रम के ढांचे का उपयोग करने वाला देश के चुनिंदा 53 जिलों में एक प्रायोगिक उपाय है। यह सशर्त नकद अंतरण के रूप में न्यूनीकरण उपाय है, जिसमें मजदूरी में हुई हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जाती है, जो गर्भवती अवस्था और बच्चे को दूध पिलाने के दौरान मातृत्व लाभ के लिए है। वर्ष 2015-16 के लिए आईजीएमएसवाई हेतु आबंटन 438 करोड़ रुपए है।

मंत्रालय का एक दूसरा महत्वपूर्ण सशक्तिकरण स्कीम प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार हेतु सहायता देना है; राष्ट्रीय महिला कोष की सूक्ष्म ऋण स्कीम; कार्यकारी महिलाओं के लिए होस्टल आदि। मंत्रालय उज्ज्वला स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की पीड़िताओं को बचाव, पुनर्वास, परिवार से पुनः मिलाने और वापस लाने के लिए सहायता दी जाती है।

एक नई स्कीम अर्थात "**बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान**" को नियमित बजट 2014-15 में शुरु किया गया था, जो बाल विकास के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है परन्तु इसका क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। 2015-16 के दौरान इस स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का लक्ष्य पूरे

देश में जन अभियान के जरिए गिरते हुए बालक-बालिका अनुपात की समस्या का समाधान करना और निम्न सीएसआर वाले चुनिंदा 100 जिलों में फोकस उपाय और बहु-क्षेत्रीय कार्य करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य बालिका का लालन-पालन करना और उसे शिक्षित करना है।

जल आपूर्ति और स्वच्छताः स्वच्छ भारत एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन और स्वच्छ भारत अभियान आते हैं:-

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी): राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम और "भारत निर्माण" का एक घटक है, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों और परिवारों को हैंडपंपों, पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं आदि के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेय जलापूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत, देश के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित घटकों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है: (i) ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में आंशिक रूप से कवर बस्तियों की कवरेज, (ii) ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की कवरेज, (iii) स्रोत और प्रणाली सुस्थिरता उपाय शुरू करना, (iv) मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं का प्रचालन और अनुरक्षण (v) जल गुणवत्ता मानीटरिंग और निगरानी और (vi) आईईसी, प्रशिक्षण, एमआईएस, कम्प्यूटरीकरण, अनुसंधान और विकास आदि, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जिन्हें 90:10 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है, केन्द्र और राज्यों के बीच कवरेज, गुणवत्ता और प्रचालन व अनुरक्षण के घटकों के लिए 50:50 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। सुस्थिरता, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी और सहायता घटकों को केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर निधिपोषित किया जाता है। दिनांक 1.4.2014 की स्थिति के अनुसार देशभर में 16.97 लाख ग्रामीण बस्तियों में से 12.50 लाख बस्तियां स्वच्छ और समुचित पेयजल आपूर्ति से पूरी तरह कवर की गई है। 2015-16 के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी और ग्रामीण जलापूर्ति सेक्टर के लिए 2611.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 261.00 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अतिरिक्त, कुल आवंटन का 22 प्रतिशत और 10 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। 2015-16 के दौरान, ग्रामीण लोगों को पाइपयुक्त जलापूर्ति योजनाओं में कवरेज पर बल, चल रही योजनाओं को पूर्ण करना, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की कवरेज को प्राथमिकता देना, ग्रामीण जलापूर्ति स्वच्छता की कवरेज पर ध्यान देना, विशेष रूप से पानी की तंगी वाले खंडों में निरन्तरता घटक के लिए विशेष योजना बनाना और प्रोत्साहन निधियों का प्रभावी रूप से प्रयोग करना ताकि जलापूर्ति योजनाओं के प्रबंधन के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

स्वच्छ भारत अभियान (एनबीए): ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की प्रगति को गति देने के लिए भारत सरकार ने निर्मल भारत अभियान में एक उदाहरणार्थ बदलाव की संकल्पना की है जिसे अब स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य 2 अक्तूबर, 2019 तक सभी ग्रामीण परिवारों हेतु स्वच्छता की पहुंच 100% प्राप्त करना है।

स्वच्छ भारत अभियान में सम्पूर्ण ग्रामीण भारत के 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 627 जिले शामिल हैं, जिनके लिए 2015-16 हेतु शहरी स्वच्छता के लिए 1,000 करोड़ रुपए सहित 3625 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम के लिए 362 करोड़ रुपए (शहरी क्षेत्र का 100 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, क्रमशः अनुसूचित जाति योजना और अनुसूचित जनजाति योजना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए कुल आवंटन का 22% और 10% अलग से रखा गया है।

सभी के लिए आवास

ग्रामीण आवासः वर्ष 2015-16 के लिए ग्रामीण आवास के लिये परिव्यय 10025.00 करोड़ रुपए है जिसमें 1003.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए रखे गए हैं।

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर आवासीय यूनिटों के निर्माण में सहायता करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के विद्यमान अनुपयोगी कच्चे मकानों के लिए सहायता देकर उन्हें पक्का करना है। वर्ष 1995-96 से इंदिरा आवास योजना के लाभ सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के किसी कार्रवाई में मारे गए सदस्यों के परिवारों तक विस्तारित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 60 प्रतिशत निधियां अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की सहायता के लिए और 3 प्रतिशत विकलागों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के हितों के लिए आरक्षित की गई हैं। इंदिरा आवास योजना की निधियों और भौतिक लक्ष्य का (15 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए अलग से रखा गया है।

इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000 रुपए और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों/वामपंथी चरमपंथ प्रभावित जिलों के लिए 75,000 रुपए होगी। कच्चा /टूटे मकानों के उन्नयन के लिए 15,000 रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

स्वच्छ शौचालय आईएवाई आवास की अब एक अनिवार्य आवश्यकता है जोकि स्वच्छ भारत अभियान के साथ अभिसारित कर दिया गया है।

शहरी आवासः आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए परिव्यय 5625.30 करोड़ रुपए है जिसमें से, शहरी आवास के लिए सरदार पटेल राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत 4150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक प्रत्येक परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह मिशन गंदी बस्तियों में रहने वाले, बेघर बेसहारा और प्रवर्जनों जैसे शहरी गरीबों के निमित्त भवनों की समस्या से निजात दिलाने के लिए उचित कार्यनीतियों का निर्माण करेगी।

शहरी विकासः शहरी विकास मंत्रालय के लिए आईईबीआर के जरिए 3165.71 करोड़ रुपए के साथ बजटीय आबंटन 16054.18 करोड़ रुपए है। इसमें स्मार्ट शहरों के लिए 6000 करोड़ रुपए और 500 बस्तियां शामिल हैं 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अधिक अंतरण की दृष्टि से राज्यों से अधिक शेयर के लिए केन्द्रःराज्य निधियन पद्धति में सुधार किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम, बेंगलुरू, कोलकाता, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुम्बई, नागपुर और अन्य मेट्रो रेल परियोजनाएं, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, विजयवाड़ा और वाईजेग मेट्रो शामिल हैं; मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी निवेश जापान अंतर-राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जीआईसीए) से ऋण, अनुदान और अधीनस्थ ऋण में 8385 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय विरासत शहर कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के संतुलित और समान विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनसंख्या का दबाव को कम किया जा सके। इस प्रावधान में पूर्वोत्तर क्षेत्र सामान्य पूल रिहायशी और गैर रिहायशी आवास और शहर विकास परियोजना बनाने और तकनीकी सेमिनार संगोष्टियां परामर्शी सेवाओं के लिए 10% एक मुश्त प्रावधान भी शामिल है।

सूचना, प्रचार और प्रसारणः सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए 1114.53 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है जिसमें 200.00 करोड़ रुपये के आं.व.बा.सं. शामिल है। मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलाप शुरु करने के लिए 92.00 करोड़ रुपये भी रखे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र; पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद की अपनी स्कीमों और संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की सहायता करता है। अवसंरचना परियोजनाओं में सड़क और पुल, विद्युत, सिंचाई , स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, जलापूर्ति और मृदाक्षरण रोकने आदि जैसे व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है। पूर्वोत्तर परिषद की व्यापक स्कीमों की सहायता करने के लिए 773.00 करोड़ रुपए

और एनएलसीपीआर के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंचरना में बड़े अंतरों को पाटने के लिए 950 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सूक्ष्म वित्त बढ़ाने और लघु क्षेत्रों की सहायता करने के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को 30 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहनीय बिजली के लिए ट्यूरिलय हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को 90.00 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने व उनके उन्नयन हेतु सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 170.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नई स्कीमों में पूर्वोत्तर सड़क निगम के लिए 225 करोड़ रुपए और पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक कृषि हेतु 125 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।

कल्याण

अनुसूचित जातियों का कल्याणः बजट 2015-16 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और निःशक्तों के कल्याण के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए 6467.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 1599.00 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति उप-योजना को दी जाने वाली विशेष मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति केन्द्रीय सहायता हेतु 1107.44 करोड़ रुपए और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 885.00 करोड़ रुपए, जिसमें 55.00 लाख विद्यार्थियों को लाभ दिए जाने की संभावना है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 785.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 25.00 लाख विद्यार्थियों को इस स्कीम में लाभ मिलने की संभावना है।

अशक्तता मामले : अशक्तता मामले विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 565.40 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें अशक्त व्यक्तियों हेतु सहायता सामग्री और उपकरणों की खरीद/फिट करने के लिए सहायता की योजना हेतु 125.50 करोड़ रुपए शामिल हैं। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के इस आबंटन में ने क्रियान्वयन के स्कीम के लिए 135.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निःशक्त व्यक्तियों हेतु विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के लिए 105.25 करोड़ रुपए शामिल है।

जनजातीय मामले : जनजातीय समुदायों के सम्पूर्ण विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना एक अम्ब्रैला स्कीम है। इन प्रावधानों में 4792.19 करोड़ रुपए का आबंटन शामिल है, जिसमें प्रशिक्षण और सम्बद्ध स्कीमों और अनुकरणीय सेवाओं सहित अनुसूचित जनजातियों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (37.00 करोड़ रुपए)। कम साक्षरता जिलों में अ.ज.जा. बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण (40.00 करोड़ रुपए), जनजातीय उत्पादों/ उत्पाद का बाजार विकास (35.00 करोड़ रुपए) लघु वन उत्पाद हेतु राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता-अनुदान (15.00 करोड़ रुपए) मुख्यतः संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास (217.35 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता (70.00 करोड़ रुपए), अ.ज.जा. विद्यार्थियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (50.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (1.00 करोड़ रुपए), न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी हेतु मूल्य श्रृंखला के विकास के जरिये लघु वन उत्पाद के विपणन हेतु प्रणाली (307.00 करोड़ रुपए) विश्व बैंक परियोजना - जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम के सुधार हेतु (2.00 करोड़ रुपए) सूचना अनुसंधान और जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य (46.00 करोड़ रुपए), वन बंधु कल्याण योजना(200.00 करोड़ रुपए) अ.ज.जा. बच्चों की शिक्षा हेतु अम्ब्रैला स्कीम (1154.84 करोड़ रुपए), जनजातीय उप-आयोजना के तहत स्कीम (1250.00 करोड़ रुपए) और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के तहत स्कीम (1367.00 करोड़ रुपए) के प्रावधान शामिल हैं।

अल्पसंख्यकः अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 3712.78 करोड़ रुपए है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के प्रावधान शामिल है। इस परिव्यय में 18 योजनाएं शामिल हैं यथा, मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन को सहायता-अनुदान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध स्कीमें, अनुसंधान/अध्ययन, अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित विकास स्कीमों का अनुवीक्षण और मूल्यांकन, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों हेतु बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगी राज्य चेनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता-अनुदान, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना, राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण, विदेशों में विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक ऋणों संबंधी ब्याज सब्सिडी, छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की गिरती हुई जनसंख्या को रोकने की योजना, कौशल विकास पहलें और सं.लो.से.आ./क.च.आ./राज्यों के लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर विद्यार्थियों को सहायता आदि और मौलाना आजाद चिकित्सा सहायता है।

श्रम और रोजगारः श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए सकल आधार पर 2153.02 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय है। इसमें रोजगार व श्रमिक प्रशिक्षण, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कार्य करने की स्थितियां सुधारने व बाल/महिला श्रमिकों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, अजा/ अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, एससीएसपी, टीएसपी और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम की स्कीमों के लिए भी प्रावधान किया गया है।

सामान्य सेवाएं

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयनः वर्ष 2015-16 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 40.25 करोड़ रुपए है जिसमें 40.50 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु शामिल है। इसके अलावा, वर्ष 2015-2016 के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) हेतु 3950.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है। मंत्रालय 2015-16 के दौरान एमपीएलएडीएस के अतिरिक्त, 4 आयोजना योजनाएं क्रियान्वित करेगाः (i) क्षमता विकास; (ii) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान, (iii) आर्थिक जनगणना और (iv) सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना। आयोजना स्कीम का उद्देश्य परियोजनाओं के लिए सुदृढ़ीकरण, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करना है और कार्यक्रमों को 2015-16 से बंद कर दिया गया है जो कि वित्त मंत्रालय के निदेशों पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य देश की सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करना है ताकि न्यूनतम समय अंतराल और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बेहतर नीति और योजना निर्माण को सुसाध्य बनाने हेतु आंकड़ों में अन्तरालों को पाटने सहित सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ आंकड़ों की समय पर उपलब्धता बीस सूत्री कार्यक्रम, अवसंरचना क्षेत्रों का निष्पादन, 150.00 करोड़ रुपये और उससे ऊपर की केंद्रीय परियोजनाओं का अनुवीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

योजनाः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सौंपे गए विशिष्ट पहचान के कार्य को करने के लिए 2015-16 में 2000.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। प्रत्येक आयोजना स्कीम के अंतर्गत व्यय, परिणाम और प्रयुक्त राशि पर राज्यवार/जिलावार रिपोर्ट देने के साथ-साथ व्यय का पता लगाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त प्रबंधन सूचना सिस्टम/निर्णय समर्थन सिस्टम लाने हेतु लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के लिए 49.73 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

न्याय प्रशासनः न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 806.65 करोड़ रुपए है, जिसमें से 563.00 करोड़ रुपए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और कानूनी सुधार अर्थात मोडल न्यायलय की स्थापना करने के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के तहत अधीन प्रावधान किए जाते हैं। न्यायिक सुधार न्याय की सुलभता, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास (क्षमता निर्माण और अवसंरचना सुविधाएं) संबंधी कार्य अनुसंधान और अध्ययन किए जाते हैं।

गृह

आयोजना स्कीम 2015-16 के लिए 9542.98 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है, जिसमें पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्कीम की अम्ब्रेला केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए 35.00 करोड़ रुपए; और 990.00 करोड़ रुपए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए शामिल है जिसे इस वर्ष से वित्त मंत्रालय से अंतरित किया गया है। मोबाइल वैन और नियंत्रण कक्ष से बलित सिगनल के बैकोड एकीकरण स्कीम के लिए निर्भया निधि से 150.00 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है और इस वित्तीय वर्ष में पुलिस स्मारक के लिए 50.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।